



# उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0आ0-माजरा, देहरादून  
फोन-0135-2641119 फैक्स-2641314 Website [www.uerc.gov.in](http://www.uerc.gov.in) E-mail-[uttaranchalerc@rediffmail.com](mailto:uttaranchalerc@rediffmail.com)

## निष्प्रयोज्य सामग्रियों की सार्वजनिक नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आयोग कार्यालय की निष्प्रयोज्य सामग्रियों की सार्वजनिक नीलामी 'जहाँ है जैसी है' के आधार पर दिनांक 21.04.2015 को साय: 4:00 बजे गठित समिति द्वारा किया जायेगा। निष्प्रयोज्य सामग्रियों का निरीक्षण आयोग कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर सायं 3:00 से 5:00 बजे तक किया जा सकता है। नीलामी की विस्तृत शर्तें एवं सामग्रियों की सूची आयोग कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा वेबसाइट [www.uerc.gov.in](http://www.uerc.gov.in) पर देखी जा सकती है।

Advt No. -01/15-16

सचिव



# उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0आ0-माजरा, देहरादून  
फोन-0135-2641119 फैक्स-2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail-uttaranchalerc@rediffmail.com

## निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी सम्बन्धी शर्तें

1. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग कार्यालय की निष्प्रयोज्य सामग्रियों की सार्वजनिक नीलामी 'जहाँ है जैसी है' के आधार पर दिनांक 21.04.2015 को साय: 4:00 बजे गठित समिति द्वारा आयोग कार्यालय में की जायेगी। निष्प्रयोज्य सामग्रियों की सूची संलग्न है।
2. इच्छुक क्रेताओं को जमानत धनराशि के रूप में रू0 2000.00 (रूपया दो हजार मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट जो सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, बोली में प्रतिभाग लेने से पूर्व नीलामी प्रक्रिया आरम्भ होने से एक घण्टे पूर्व तक जमा कर टोकन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. प्रथम दो उच्च बोलीदाताओं के द्वारा धरोहर के रूप में जमा धनराशि को नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्ति उपरान्त वापस कर दी जायेगी। शेष असफल बोलीदाताओं को नीलामी की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त धरोहर धनराशि तत्काल वापस कर दी जायेगी।
4. नीलामी में अधिकतम बोलीदाता के द्वारा धनराशि का 50 प्रतिशत तत्काल नकद रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। शेष धनराशि तीन दिवस के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा तथा समस्त सामग्री उठानी होगी। निर्धारित समय तक धनराशि जमा ना करने पर बोलीदाता द्वारा जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय उच्च बोलीदाता को अवसर प्रदान कर दिया जायेगा।
5. विवाद उत्पन्न होने की दशा में सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग देहरादून का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा तथा जिसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
6. किसी भी नीलामी की बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नीलामी के लिए गठित समिति/सक्षम अधिकारी को होगा।
7. निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी होने के उपरान्त ले जाने हेतु समस्त भाड़ा बोलीदाता को स्वयं वहन करना होगा तथा नीलामी की गई कोई भी सामग्री किसी भी दशा में वापस नहीं ली जायेगी।
8. नीलामी से प्राप्त धनराशि केवल नकद रूप में जमा की जायेगी।
9. नीलामी हेतु नीलामी कक्ष में केवल टोकन धारकों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
10. यदि नीलामी के दौरान सामग्रियों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है तो समिति को यह अधिकार होगा कि उक्त सामग्री की निविदा को निरस्त कर सकती है।
11. यदि कोई आयकर/व्यापार कर अथवा अन्य कोई कर नियमानुसार देय होगा तो वह नीलामीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
12. उपरोक्त नीलामी की शर्तों के विषय में तथा नीलामी की तिथि स्थगित होने या बदलने एवं नीलामी के दौरान अथवा किसी भी समय विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

सचिव

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग  
में निम्नयोज्य सामग्रियों की नीलामी हेतु सूची

क्र०सं०	सामग्री	संख्या / मात्रा
1.	फर्नीचर	12
2.	बिटेल कार्डलैस फोन	1
3.	कोजी मैक (इण्टरकॉम फोन)	1
4.	2 लाईन कार्डलैस पेनासोनिक फोन	1
5.	बिटेल मेक फोन (1+1)	22
6.	EPEBX MDF बाक्स (50 लाईन) मय 24 नग, बीटेल इन्टरकाम फोन सहित	01 सेट
7.	इन्टरकॉम फोन	5
8.	यू०पी०एस०	16
9.	इन्वर्टर (बैटरी सहित)	04
10.	एटलस साईकिल	2
11.	ऑयल फिल्टर रेडिएटर/हीट कन्वर्टर	5
12.	मोबाईल फोन	31
13.	अग्निशामक यन्त्र (1कि०ग्रा०)	3
14.	एक्वागार्ड	1
15.	समाचार पत्र रद्दी	100 कि०ग्रा०
16.	लैपटॉप	4
17.	प्रिन्टर	6
18.	स्कैनर	1
19.	फैक्स	2
20.	टी/कॉफी वैन्डिंग मशीन (लिप्टन मेक)	1
21.	फोटो कापी मशीन	1
22.	डेस्कटॉप कम्प्यूटर	4
23.	पब्लिक एडरेस सिस्टम 1. एम्पलिफायर -- 01 नग 2. वायरलेस माइक्रोफोन मय स्टैण्ड -- 03 नग 3. स्पीकर (16 वॉट)	1 सेट
24.	प्रोजेक्टर	1
25.	डिजिटल कैमरा	1
26.	अन्य सामग्री (पेन ड्राईव, सीलिंग पंखा, लैडर बैग, हार्ड डिस्क, बोर्ड, कार सीट सामग्री आदि)	

नोट :- उपरोक्त सामग्रियों की संख्या/मात्रा अनुमानित है जिस में परिवर्तन हो सकता है।

\*\*\*\*\*